

#1298

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - कपासन

धारा अन्तर्गत-236

प्र.सं. 1018

दांपर दिनांक 01/10/25

निर्णय दिनांक

09/10/25



रिपोर्ट

क्र.सं.	नाम-ग्राम	स्त्री/पुरुष	रिपोर्ट		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश	
1	रूपाला	95	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ बिकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ बिकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम रूपाला प.ह. रूपाला में खतासं 95 में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ बिकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			स्टेट बैंक ऑफ बिकनेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	
			हस्ताक्षर/पट्टावा 01/10/25	हस्ताक्षर/मिस्सवर 01/10/25		

प्रतिनिधि पालनार्थ:-

पट्टावा रूपाला चितौड़गढ

1. पट्टावा रूपाला चितौड़गढ

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन चितौड़गढ

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार कपासन

तहसील कपासन जिला-चितौड़गढ